न्यायालय उपजिला कलेक्टर, टोडाभीम

मु0नं0 17 / 2015

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

तारीख रजू :– 18.05.2015

R.A.S.

1. दयाराम आयु 73 साल
2. गिर्राज आयु 65 साल

पिसरान मूलचन्द, जाति गुर्जर, निवासी बौल तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

सायलान

बनाम

1. परमसुख आयु 55 साल
2. बृजवासी उर्फ ब्रजलाल, आयु 45 साल
3. कपूर पुत्र रामरूप आयु 45 साल

पिसरान रामरूप

4. बलवीर आयु 55 साल
5. किलान सिंह आयु 50 साल

पिसरान मनभावन

6. महाराज सिंह पुत्र जगन आयु 60 साल
7. शिवराम पुत्र रतिराम आयु 40 साल

समस्त जाति गुर्जर, निवासी बौंल, तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

8. रामभान आयु 27 साल
9. उदय आयु 25 साल
10. अजय आयु 23 साल
11. वीरसिंह आयु 21 साल
12. वीरेन्द्र आयु 19 साल

पिसरान विश्राम जाति जाटव, निवासी बौल तह0 टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

13. श्याम पत्नी विश्राम आयु 45 साल
14. सामन्ती पुत्री रतिराम पत्नी राजू, आयु 45 साल, जाति जाटव, निवासी मौहचा, तह0 गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज0।
15. तहसीलदार, तहसील टोडाभीम, जिला करोली,राज0।

गैरसायलान

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– 1. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट – सायल

2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट – गैरसायल

आदेश

दिनांक : 18.10.2016

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 909 रकबा 13 ऐयर, 1625 रकबा 10 ऐयर, 1922 रकबा 10 ऐयर, 1923 रकबा 12 ऐयर, 1924 रकबा 10 ऐयर, 1925 रकबा 15 ऐयर, 1940 रकबा 64 ऐयर, एवं खसरा नम्बर 1941 रकबा 14 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर वाके ग्राम बौंल तहसील टोडाभीम स्थित है। जो सायलान एवं गैरसायलान संख्या 4 ता 14 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिसमें सायलान का 6/148 हिस्सा तथा गैरसायाल संख्या 4 व 5 का 4/148 हिस्सा, गैरसायल सं0 6 का 10/148 हिस्सा एवं पिता, बाबा व दादा ससुर गैरसायल सं0 7 ता 14 रत्तीराम का 128/148 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसका सायलान एवं गैरसायलान में अभी तक विधिवत बॅटवारा नहीं हुआ है। लेकिन मौके पर 20 साल पहले से बाह्यमी बॅटवारा कर रखा है। मुताबिक बाह्मी बॅटवारा सायलान के हिस्से में आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1922 रकबा 10 ऐयर आया हैं। जिसमें से लगभग 4 ऐयर आराजी में होकर आम सडक गुजर रही है। एवं शेष रकबा 6 ऐयर आराजी पर सायलान काबिज काश्त है। जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। फिर भी

उप जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

गैरसायलान लट्ठ के बल पर जबरन सायलान के हिस्से में आयी आराजी हाल खसरा नम्बर 1922 रकबा 10 ऐयर में उनके 6/148 हिस्से पर आये दिन झगडा फॅसाद करते रहते है एवं उक्त आराजीयात के डौल मेढ़ पर भी गैरसायलान विवाद करते रहते है। सायलान ने अपने हिस्से की आराजी व उसके पास ही स्थित सायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1685 रकबा 75 ऐयर का सीमाज्ञान करवाया और दिनांक 16.04.2015 को रेवन्यू कर्मचारी गण द्वारा सीमाज्ञान कर गैरसायलान को संतुष्ठ किया। फिर भी गैरसायलान सायलान के साथ झगडा फॅसाद करते रहते है। दिनांक 03.05.2015 को सुबह 8–9 बजे सायलान अपनी आराजी पर आगामी फसल की तैयारी हेतु सूल बबूल कर रहे थे। तो गैरसायलान 01 ता 03 ने सायलान से ऐलानिया कहा कि हम तुझे इस आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें। तेरी फसल को बर्बाद करेगें। और आराजी में खडे तेरे बबलू के पेडों को काटकर ले जायेगें। और गैरसायल सं0 04 ता 14 ने आराजीयात का तकास्मा कराने से एवं आराजीयात में सायलान के 6/148 हिस्से से साफ इन्कार कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन और अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दु अपने पक्ष में होना बताते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। सायल सं0 01 ता 03 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने वकालत नामा व जबाब पेश किया एवं गैरसायल सं0 04 ता 06 व 15 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लायी गयी तथा गैरसायल सं0 07 ता 14 की ओर से श्री राधामोहन शर्मा ने वकालत

ला कलक्टर
म (करौली)

Scanned by CamScanner

नामा पेश किया। लेकिन कई अवसर निकल जाने के बाद भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिये दिनांक 31.08.2016 को गैरसायल सं0 07 ता 14 का जबाब बंद किया गया। दिनांक 14.09.2016 को गैरसायल सं0 07 ता 14 असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। बार बार आवाज दिलाने पर भी अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायल सं0 01 ता 03 ने जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र के अधिकतर मदों को अस्वीकार करते हुए। कथन किया कि सायलान ने दावा अनावश्यक पेश किया हैं। सायलान का भूमि खसरा नम्बर 1922 रकबा 10 ऐयर पर कब्जा नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0 रास्ता है। जो रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि में होकर ग्राम बौंल से मूडिया को पक्की सडक जा रही है तथा रास्ते के दोनों तरफ आबादी हो रही है। सायलान ने अपने नाम भूमि की खातेदारी गलत व अवैध रूप से दर्ज करा दी है तथा दर्ज किया है कि आम रास्ता आबादी के प्रकरण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं हैं। दावा बॅटवार पेश किया है। रास्ता आबादी का बॅटवारा कानूनन नहीं किया जा सकता। इसलिये सायलान का दावा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज होने योग्य है। इसलिये प्रार्थना पत्र व दावा खारिज होने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो कॉपी जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071, फोटो कॉपी नक्श ट्रेस हाल, फोटो कॉपी फर्द मौका सीमाज्ञान तारीखी 16.04.2015 पेश की है तथा वकील गैरसायल ने दस्तावेजी सबूत में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना होता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्तनीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला :–

इस बिन्दु के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता सायलान ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए, तर्क किया हैं कि, सायलान आराजी मुतजिक्रा मद नं0 02 प्रार्थना पत्र के 6/148 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जबकि गैरसायल संख्या 01 ता 03 का उक्त आराजी से संबंध किसी प्रकार का नहीं हैं और उक्त आराजी का मौके पर 20साल पहले से बाह्मी बॅटवारा हो रहा है। जिसके मुताबिक सायलान के हिस्से में आराजी हाल खसरा नम्बर 1922/10 ऐयर आया है। जिसमें से लगभग 04 ऐयर आराजी में होकर आम सडक गुजर रही हैं एवं शेष 6 ऐयर रकबा पर सायलान काबिज काश्त है। जिससे गैरसायलान का कोई संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है। उक्त आराजीयात का विधिवत बॅटवारा नहीं होने से गैरसायलान आये दिन डौल मेढ़ को लेकर सायलान के साथ झगडा फॅसाद करते रहते है। सायलान ने अपनी उक्त आराजी व उसके पास स्थित सायलान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1685 रकबा 75 ऐयर का सीमाज्ञान करवाया। जो दिनांक 16.04.2015 को रेवन्यू कर्मचारी गण द्वारा किया जाकर गैरसायलान को संतुष्ठ किया गया। फिर भी गैरसायलान सायालान के साथ झगडा फॅसाद करते रहते है। दिनांक 03.05.2015 को सुबह 8–9 बजे सायलान द्वारा आगामी फसल

जिला कलक्टर
डाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

की तैयारी हेतु सूल बबूल करते वक्त गैरसायल सं0 01 ता 03 ने ऐलानिया धमकी, आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त नहीं करने देने की, फसल बर्बाद करने की, और आराजी में खडे बबूल के पेडों को काट ले जाने की धमकी दी तथा गैरसायल सं0 04 ता 14 ने तकास्मा कराने से व आराजीयात में सायलान के हिस्से से साफ इन्कार कर दिया। जबकि गैरसायलान का सायलान की आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। प्राईमाफेसी केस सायालन के पक्ष में बखूबी साबित है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 01 ता 03 ने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि सायलान ने दावा अनाश्यक पेश किया है। भूमि खसरा नम्बर 1922 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इस भूमि में होकर ग्राम बौल से मूडिया को पक्की सडक जा रही है। सायलान ने अपने नाम भूमि की खातेदारी गलत व अवैध तरीके से दर्ज करा ली है। आम रास्ता आबादी के प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। रास्ते आबादी का बॅटवारा कानूनन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, संबधित विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड फोटो प्रति जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 के अवलोकन से साफ जाहिर है कि आराजी मुतजिक्रा मद नं0 02 प्रार्थना पत्र के सायलान हिस्सा 6/148 तथा गैरसायल सं0 4 व 5 हिस्सा 4/148, गैरसायल सं0 06 हिस्सा 10/148 एवं पिता, बाबा व दादा ससुर रत्तीराम हिस्सा 128/148 के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जबकि गैरसायल सं0 01 ता 03 जिन्होने प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

किया है। ना ही तो उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार ही दर्ज रिकार्ड है और ना ही उनका भूमि मुतनाजा से कोई संबंध ही किसी प्रकार का होना साबित कर पाये है। और ना ही उन्होने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेज ही किसी प्रकार का पेश किया है। साथ ही गैरसायल सं0 01 ता 03 का यह तर्क रहा है कि प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। इस तर्क से यह न्यायालय इसलिये सहमत नहीं है कि पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी स्पष्ट रूप से सायालन व गैरसायलान सं0 04 ता 14 की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं और उस पर काश्त की जा रही है। गैरसायल सं0 04 ता 14 भूमि मुतनाजा के सहखातेदारान ने आकर प्रार्थना पत्र का कोई विरोध प्रकट नहीं किया हैं और उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। काननून प्रत्येक इंच भू भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त होता है। और सायलान ने बाह्मी बॅटवारे में ख0 नं0 1922 रकबा 10 ऐयर को उनके हिस्से में आना बताया है। जिसका विरोध किसी भी सहखातेदार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी बनना पाया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति :–</u>

चूंकि सायलान भूमि मुतनाजा में 6/148 हिस्से के खातेदार एवं काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। एवं उक्त आराजी के मौके पर बाह्मी बॅटवारा में खसरा नम्बर 1922 रकबा 10 ऐयर को सायलान के हिस्से में आना एवं उस पर काश्त किया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी भी सहखातेदार द्वारा भूमि मुतनाजा को किसी भी प्रकार हस्तान्तरित किया जाता है और गैरसायल सं0 01 ता 03 जिनका भूमि

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

मुतनाजा से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है, के द्वारा सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत की जाती है। तो उनको रोका जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है। तो सायलान को गैरसायलान की अपेक्षा अधिक असुविधा और अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः उक्त दोनों बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बनना पाये जाते है।

इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दु ही सायलान के पक्ष में बनना पाये गये है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता हैं कि गैरसायलान नं0 01 ता 14 ना तो स्वयं ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से भूमि मुतजिक्रा मद नं0 02 प्रार्थना पत्र में सायलान के हिस्से में आये खसरा नम्बर 1922 रकबा 10 ऐयर के 6/148 हिस्से के कब्जे काश्त में माने मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। सायलान को 6/148 हिस्से से बेदखल नहीं करें। सायलान को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। सायलान के 6/148 हिस्से की आराजी में खडे पेडों को काटकर नहीं ले जावें और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे हकूक सायलान पर विपरीत प्रभाव पडे। समस्त गैरसायलान रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय आज दिनांक 18.10.16 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

जगदीश आर्य
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner